



त्वरित डाक / दे.पा.पं.डा. / SPEED POST / R.P.A.D.

		दूरभाष /Telephone:044-28331011 फैक्स /Fax :044-28331113 ई-मेल/Email:ccaestt-prcco@gov.in cca.estt.section@gmail.com
माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान मुख्य आयुक्त का कार्यालय, चेन्नई अंचल OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF GST AND CENTRAL EXCISE, CHENNAI ZONE (तमिलनाडु एवं पुदुच्चेरी / TAMIL NADU & PUDUCHERRY) 26/1, महात्मा गांधी मार्ग, नुंगम्बाक्कम, चेन्नई - 600 034 26/1, Mahatma Gandhi Road, Nungambakkam, Chennai 600 034		

सी.सं. / C.No. II/03/05/2021- सं.नि.प्रा.स्था/.CCA.Estt.

दिनांक/Date: 06.08.2021.

नियुक्ति प्रस्ताव / OFFER OF APPOINTMENT

विषय : स्था. - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में मल्टी और राज्यों विभिन्न - भर्ती पर पद के स्टाफ टास्किंग- संघ राज्यों में मल्टीटास्किंग- (गैर तकनीकी) स्टाफ परीक्षा, 2019 के परिणामों के आधार पर अभ्यर्थियों के आवंटन के संबंध में।

Sub: Estt. - Recruitment to the post of Multi-Tasking Staff in Central Excise - Allocation of candidates on the basis of results of the Multi-Tasking (Non-Technical) Staff in Different States and Union Territories Examination, 2019 - Reg.

विभिन्न राज्यों और संघ राज्यों में मल्टी-टास्किंग (गैर तकनीकी) स्टाफ परीक्षा, 2019 के परिणामों के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग, चेन्नई द्वारा प्रायोजित तथा दिनांक 12.05.2021 एवं दिनांक 24.05.2021 के पत्र एफ. सं. ए-6/3/2021-एस.आर. द्वारा माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मल्टी-टास्किंग स्टाफ के पद के लिए चेन्नई माल और सेवा कर अंचल को आबटित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को समय-समय पर स्वीकार्य भत्ते सहित प्रवेशिक वेतन रु. 18,000/- (7वें वेतन आयोग के वेतन मेट्रिक्स में स्तर 1, सूचक 1) में मल्टी-टास्किंग स्टाफ (माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) के पद के लिए नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाता है और नीचे उल्लेखानुसार चेन्नई संवर्ग नियंत्रण अंचल के चेन्नई माल और सेवा कर अंचल में नामित / तैनात किया जाता है।

The following candidates, sponsored by the Staff Selection Commission, Chennai on the basis of results of the Multi-Tasking (Non- Technical) Staff in Different States and Union Territories Examination, 2019 and allocated to the Chennai GST Zone for the post of Multi-Tasking Staff of GST & Central Excise vide letter F. No. 6/3/2021-SR dated 12.05.2021 & 24.05.2021 are offered appointment to the post of Multi-Tasking Staff (GST & Central Excise) in the Entry Pay of Rs.18,000 /- (Index 1, Level 1 in Pay Matrix of 7th Pay Commission) plus allowances admissible from time to time and are nominated / posted to Chennai GST Zone of Chennai Cadre Control Zone as indicated below:-

क्रम. सं. Sl. No	रैंक RANK	नाम (सर्व/श्री/श्रीमती) NAME (S/SHRI/SMT)	CATEGORY श्रेणी	जिस श्रेणी के प्रति चयन किया गया है CATEGORY SELECTION AGAINST	जन्म तिथि DOB	कहां पर तैनात POSTED TO
1	3901	सिद्धार्थ दास SIDDHARTHA DAS	अनारक्षित UR	अनारक्षित UR	10-05-1994	PR. CCO, Chennai
2	7040	अनिरुद्ध ANIRUDH	अनारक्षित UR	अनारक्षित/ (ईडब्ल्यूएस) UR (EWS)	15-04-1994	Chennai South

2. अभ्यर्थियों को माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, चेन्नई संवर्ग नियंत्रण अंचल के जिस आयुक्त कार्यालय में रिपोर्ट करना है, उस आयुक्त कार्यालय का पता संदर्भ हेतु संलग्न है।

The address of the Commissionerates of the GST & Central Excise, Chennai Cadre Control Zone where the candidates have to report is enclosed for reference.

3. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर है तथा आगे के आदेश तक है।

The above appointment will be purely on a temporary basis and until further orders.

4. यह नियुक्ति आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है।

This appointment order is subject to following conditions.

5. केंद्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के अनुसार उनकी सेवाएँ, किसी एक की ओर से एक महीने की नोटिस पर, बिना कोई कारण बताए, समाप्त होगी। तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी को यह अधिकार है कि उन्हें नोटिस की अवधि के लिए अथवा उस अवधि के असमाप्त हिस्से के लिए वेतन और भत्ते के बराबर की राशि का भुगतान करके उनकी सेवाओं को वह तत्काल समाप्त करें अथवा नोटिस की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले समाप्त करें।

Their services will be terminable on one month's notice from either side in accordance with the Central Civil Service (Temporary Service) Rules, 1965, without assigning any reasons. The appointing authority, however, reserves the right of terminating their services forthwith or before the expiration of the stipulated period of notice by making payment to them of a sum equivalent to the pay and allowances for the period of notice or the unexpired portion thereof.

6. वे नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक परीक्षाधीन रहेंगे। सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा-काल को संतोषजनक रूप से पूरा करने पर, उपरोक्त पद में उनके स्थायीकरण पर विचार किया जाएगा।

They will be on probation for two years from the date of appointment, the period of which may be extended at the discretion of the Competent Authority. On completion of the probation period satisfactorily, they will be considered for confirmation in the said post.

7. अभियार्थी ऐसी गतिविधियों में लिप्त नहीं होंगे जो आधिकारिक तौर पर आयोजित नहीं हैं या किसी भी तरह से अनुशासनहीनता मानी जाती हैं।

The candidates shall not indulge in activities not officially organized or in any manner considered as indiscipline.

8. माल और सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मल्टी-टास्किंग स्टाफ की ग्रेड में अभ्यर्थियों की वरिष्ठता लागू आदेशों के अनुसार तय की जाएगी।

The seniority of the candidates in the grade of Multi-Tasking Staff of GST & Central Excise will be fixed as per the orders in force.

9. छुट्टी, यात्रा भत्ते तथा सेवा-शर्तों से संबंधित सभी अन्य मामलों के संबंध में, वे लोक-सेवा की जिस शाखा के हैं, उसके लिए अनुप्रयोज्य तथा समय-समय पर लागू नियमों तथा आदेशों द्वारा नियंत्रित रहेंगे।

With regard to Leave, Travelling Allowances and all other matters connected with service conditions, they will be governed by the rules and orders in force from time to time and applicable to the branch of public service to which they may belong.

10. उन्हें प्रधान मुख्य आयुक्त, माल और सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, चेन्नई के संवर्ग नियंत्रण क्षेत्राधिकार के अंदर कहीं भी तैनात और स्थानांतरित किया जा सकता है।

They will be liable to be posted and transferred anywhere within the Cadre Control jurisdiction of the Principal Chief Commissioner of GST & Central Excise, Chennai.

11. यदि वे स्थायी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं या तीन वर्ष की अस्थायी सेवा पूरी नहीं की है, तो वे उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ते के हकदार नहीं होंगे।

They will not be entitled to Travelling Allowance for joining the post unless they are permanent Government servants or have completed three years of temporary service.

12. सरकारी कर्मचारियों तथा अन्यो के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा / साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर केन्द्र सरकार के पदों में नियुक्ति के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा राज्य सरकार के स्थायी / अनंतिम स्थायी कर्मचारी इन नियमों के अनुसार कार्यग्रहण अवधि के हकदार होंगे। लेकिन 3 वर्षों की नियमित सेवा पूरी न करने वाले केन्द्र सरकार के अस्थायी कर्मचारी, कार्यग्रहण अवधि के लिए तो हकदार हैं, पर कार्यग्रहण अवधि वेतन के लिए हकदार नहीं हैं।

For appointment to posts under the Central Government on the results of a competitive examination/ or interview open to Government servants and others, Central Government employees and permanent / provisionally permanent State Government employees will be entitled to joining time under these rules. But temporary employees of the Central Government who have not completed 3 years of regular continuous service entitled to joining time would not be entitled to joining time pay.

13. कार्यग्रहण करने पर उन्हें भारत के संविधान के प्रति निष्ठा-शपथ लेना होगा या इस आशय का सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान करना होगा ।

On joining the post, they will be required to take an Oath of Allegiance to the Constitution of India or have to make a solemn affirmation to that effect.

14. अगर वे पहले से नौकरी में हैं तो उन्हें पूर्व नियोक्ता द्वारा दिए गए कार्यमुक्ति आदेश प्रस्तुत करना होगा ।

If they are already employed, they should produce a relieving order from the previous employer.

15. अगर वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के होने का दावा करते हैं, तो निर्धारित प्रपत्र में (यथासंशोधित गृह मंत्रालय के दिनांक 28.01.1952 के का.ज्ञा.सं. 42/21/49-एन.जी.एस. में यथानिर्धारित / यथाप्रयोज्य कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02.07.1997 का का.ज्ञा. सं. 36033/28/94 में यथानिर्धारित), उसमें उल्लिखित किसी न्यायिक / राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । उन्हें नोट करना होगा कि उनकी नियुक्ति अनंतिम है तथा उचित माध्यम द्वारा जाति / जनजाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन है । अगर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग के होने अथवा नवोन्नत वर्ग के न होने का दावा गलत पाया जाता है तो उनकी सेवाएं, किसी कारण दिए बिना तथा गलत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत आगे की जाने वाली कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी । नियुक्ति के बाद, उनके धर्म का अगर परिवर्तन होता है तो, उसकी सूचना संबंधित नियुक्ति / प्रशासनिक प्राधिकारी को तत्काल देनी चाहिए ।

If they claim to belong to a Scheduled Caste, Scheduled Tribe or Other backward Classes, they have to produce a certificate issued in the prescribed format (as prescribed in M.H.A O.M. No 42/21/49-N.G.S, dated 28.01.1952 as amended / DOPT O.M .No. 36033/28/94- Estt (Res) dated 02.07.1997 as applicable) by any of the Judicial / Revenue Authorities mentioned therein. They should note that their appointment will be provisional and is subject to verification of the Caste / Tribe certificate through proper channels and that if the claim to belong to SC/ST/OBC or not to belong to creamy layer is found to be false, their services will be terminated forthwith without assigning any reason and without prejudice to such further action that may be taken under the Indian Penal Code for production of false certificate. They should also intimate the change, if any, of their religion, after appointment, immediately to the Appointing / Administrative Authorities concerned.

16. यदि वे ई. डब्ल्यू.एस. के होने का दावा करते हैं, तो उन्हें इसमें किसी भी उल्लेखित न्यायिक / राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र (यथाप्रयोज्य का.प्र.वि. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था (आर.ई.एस) दिनांक 31.01.2019 में निर्धारित अनुसार) प्रस्तुत करना होगा । वे ध्यान दें कि उनकी नियुक्ति अनंतिम होगी और आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के उचित माध्यम से सत्यापित किए जाने के अध्याधीन होगा और यदि सत्यापन से पता चलता है कि ई.डब्ल्यू.एस के होने का दावा फर्जी / झूठा है, तो बिना कोई कारण बताए और फर्जी / झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत आगे कार्रवाई पर पूर्वग्रह के बिना उनकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

If they claim to belong EWS, they have to produce a certificate issued in the prescribed format (as prescribed in DOPT's O.M No.36039/1/2019-Estt (Res) dated 31.01.2019 as applicable) by any of the Judicial/Revenue authorities mentioned therein. They should note that their appointment will be provisional and is subject to the Income and Asset certificate being verified through proper channels and if the verification reveals that the claim to belong to EWS is fake/false the services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code for production of fake/false certificate.

17. भारत सरकार के अधीन सेवाओं में भर्ती के लिए चालू सुसंगत नियमों के अनुसरण में,

In accordance with the relevant rules in force in regard to the recruitment to services under the Government of India,

(क) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित है या जो, एक पत्नी के जीवित होते हुए दूसरा विवाह कर लेता है, हालांकि पत्नी के जीवन-काल में घटित होने के कारण वह विवाह अमान्य हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता बशर्ते कि केन्द्र सरकार किसी व्यक्ति के संबंध में उपर्युक्त नियम के प्रवृत्त होने से छूट दे सकती है, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा आदेश देने के विशेष कारण हैं ।

(a) No person who has more than one wife living or who, having a spouse living, contracts to a second marriage, though such marriage is void by reason of its taking place during the life-time of such spouse, shall be eligible for appointment to service, provided that the Central Government may, if satisfied that there are special grounds for so ordering, exempt any person from the operation of this rule.

(ख) कोई ऐसी स्त्री, जिसकी शादी उसके पति के जीवन-काल में घटित होने के कारण से अमान्य हो या जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पत्नी उक्त विवाह के समय जीवित हो, नियुक्ति के पात्र नहीं होती बशर्ते कि भारत सरकार ने संतुष्ट होकर कि ऐसा आदेश देने के विशेष कारण हैं, उसे छूट दी हो।

(b) No such woman whose marriage is void by reason of its taking place during the life-time of her spouse or who have married to such a person whose wife is living at the time of marriage shall be eligible for appointment in service unless the Government of India has granted exemption to such a woman in accordance with this rule after being satisfied that there are special grounds for so ordering.

18. अतः यह नियुक्ति प्रस्ताव सशर्त है कि अभ्यर्थी उपर्युक्त अपेक्षाओं को पूरा करें तथा अपने उत्तर के साथ, इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में घोषणा दें। अगर वे उपर्युक्त शर्त को पूरा नहीं करते तथा किसी कारणवश उपर्युक्त नियमों से छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें तत्काल इस आशय का अभ्यावेदन देना चाहिए। ऐसे मामले में यह नियुक्ति प्रस्ताव निरस्त माना जाए तथा उनके अभ्यावेदन पर विचार करने पर यदि यह निर्णय किया जाता है कि उन्हें मल्टी स्टाफ टास्किंग-के पद हेतु नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जाए तो आगे की सूचना प्रेषित की जाएगी।

This offer of appointment is, therefore, conditional upon their satisfying the requirement mentioned and furnishing declaration in the form enclosed to this letter, along with their reply. If, however, they do not fulfil the above condition and they desire to be exempted from the above mentioned rules for any reason, they should make a representation in this behalf immediately. This offer of appointment should, in that case, be treated as cancelled and a further communication will be sent to them in due course, if upon consideration of their representation, it is decided to offer them appointment to the post of Multi-Tasking Staff.

19. यदि अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई घोषणा या सूचना गलत पाई जाती है अथवा यदि पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने विवाह संबंधी किसी सूचना को जानबूझकर चुपचा है तो वह अपनी सरकारी सेवा से बरखास्तगी तथा सरकार द्वारा आवश्यक माने जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई का दायी होगा।

If any declaration given or information furnished by them is proved to be false or if they are found to have wilfully suppressed any marital information, they will be liable for removal from service and other action as Government may deem necessary.

20. यह नियुक्ति प्रस्ताव पूर्णतः अस्थायी है तथा संबंधित जिला / पुलिस प्राधिकारियों से पूर्ववृत्त सत्यापन रिपोर्ट / संबंधित निर्गामी प्राधिकारियों से जाति प्रमाण पत्र / आय और संपत्ति प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर / विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए शैक्षणिक प्रमाण पत्र के सत्यापन पर निर्भर है। यदि संबंधित प्राधिकारियों से कोई प्रतिकूल / नकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त होती है तो, कर्मचारियों की सेवाएं कोई कारण या नेटिस दिए बिना तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी।

This offer of appointment is purely temporary and is subject to receipt of the antecedent verification report from the concerned District/ Police Authorities/Caste certificate/Income and Asset certificate from the concerned issuing authority/verification of certificate of education issued by the University. In case any adverse / negative report is received from the concerned authorities, the services will be terminated immediately without assigning any reason or notice.

21. अभ्यर्थी को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ नामांकित अंचल / आयुक्तालय में दिनांक **23.08.2021** को या उससे पहले कार्यग्रहण के लिए रिपोर्ट करनी होगी।

They shall report for duty at the Office of the nominated Zone / Commissionerate **on or before 23.08.2021** with the following documents:

- क) शैक्षणिक योग्यताओं की मूल / अनुप्रमाणित प्रतियां;
- a) Original/Attested copies of Educational Qualifications;
- ख) आयु प्रमाण-पत्र की मूल/अनुप्रमाणित प्रति;
- b) Original/Attested copy of Certificate of Age;
- ग) संलग्न प्रपत्र में वैवाहिक स्थिति की घोषणा;
- c) Declaration of Marital Status in the form enclosed;
- घ) अ.जा. / .अ.ज.जा / .अ.पि.व. के अभ्यर्थी के मामले में निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र;
- d) Caste Certificate in the case of SC/ST/OBC candidate in the prescribed format;
- ङ) ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार के मामले में आय और संपत्ति प्रमाण पत्र।
- e) Income and Asset Certificate in the case of EWS Candidate.
- च) वर्तमान नियोक्ता से कार्यमुक्ति आदेश / सेवामुक्ति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो तो)
- f) Relieving order/ Discharge Certificate from the present employer (if applicable).

छ) लंबित दस्तावेज (जो कि दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत नहीं किए गए थे अर्थात् चरित्र प्रमाण पत्र / परिचय प्रमाण पत्र आदि) न प्रस्तुत करने की स्थिति में यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वतः रद्द हो जाएगा ।


g) Pending Documents (that were not submitted at the time of Document Verification i.e. Character Certificate/ Identity Certificate, etc.) failing which this offer of appointment will stand automatically cancelled.

22. दिनांक 22.12.2003 को प्रकाशित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I-अनुच्छेद 1 में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, अधिसूचना संख्या 5/7/2003-ईईसीबी और पी.आर. दिनांक 22.12.2003 के तहत अधिसूचित अनुसार अभ्यर्थी नई पेंशन योजना के दायरे में आएंगे । यह उस स्थायी सरकारी सेवक पर लागू नहीं होगा जिन्होंने सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 26(2) के तहत तकनीकी इस्तीफा देने पर पद में पुनर्नियुक्ति होने पर पद ग्रहण किया है।

The candidates will be governed by the New Pension Scheme as notified vide Government of India, Ministry of Finance, Notification no. 5/7/2003-EECB & PR dated 22.12.2003 - published in Gazette of India, Extraordinary, Part I - Section 1, dated 22.12.2003. This will not apply to a permanent Government servant who joins the post on tendering Technical resignation under Rule 26(2) of CCS (Pension) Rules, 1972 on reappointment to the post.

23. यह आदेश प्रधान मुख्य आयुक्त, माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी, तमिलनाडु एवं पुदुच्चेरी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

This order is issued with the approval of the Chief Commissioner of GST & Central Excise, Cadre Control Authority, Tamil Nadu and Puducherry.


(बी.सेंथिलवेलवन)/ B.SENTHILVELAVAN
अपर आयुक्त / ADDITIONAL COMMISSIONER

सेवा में / To,

संबंधित व्यक्ति / The Individuals

प्रतिलिपि प्रस्तुत / Copy submitted to :

1. उप निदेशक, कर्मचारी चयन आयोग (द.क्षे.), कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, द्वितीय तल, ई.वि.के. संपत बिल्डिंग, कॉलेज रोड, चेन्नई - 600006
The Deputy Director, Staff Selection Commission (SR), Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, 2nd Floor, EVK Sampath Building, College Road, Chennai - 600006.

प्रतिलिपि / Copy to:

1. प्रधान आयुक्त / आयुक्त, माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, चेन्नई दक्षिण,
The Principal Commissioner/Commissioner of GST & Central Excise, Chennai South,
2. मुख्य लेखा अधिकारी, प्र. मु. आ. का., चेन्नई
The Chief Accounts Officer, Pr. CCO, Chennai.
(दिनांक 09.10.2020 के बोर्ड के पत्र एफ. संख्या ए-32018/13/2019-एडी III. ए और का.प्र.वि. के दिनांक 11.03.2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 28020/3/2018-स्था.(सी) के अनुसरण में, नए भर्ती किए गए अधिकारी जो कि परीक्षा अवधि पर हैं उनके निष्पादन को मॉनिटर करना अपेक्षित है।)
(The performance of freshly recruited officers who are on probation period need to be monitored in terms of Board's letter F. No. A-32018/13/2019-Ad.III.A dated 09.10.2020 and DOPT's O.M No.28020/3/2018-Estt.(C) dated 11.03.2019)

3. अधीक्षक (कंप्यूटर अनुभाग), चेन्नई उत्तर - आधिकारिक वेबसाइट में प्रदर्शित करने हेतु
The Superintendent (Computer Section), Chennai North - **for displaying on official website.**